

कार्यालय आयुक्त, नगर पालिक निगम, ग्वालियर

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट याचिका क्र. 7275/2019 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2024, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. एफ 07-19/2019/आ.प्र./1 दिनांक 14.02.2024, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पत्र क्रमांक/676/16017123/2023/18-1 दिनांक 16.02.2023, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल के पत्र क्रमांक / स्था/एक/201/प्र.शि. /2024/3780 भोपाल दिनांक 26.02.2024 तथा मध्यप्रदेश, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन के पत्र क्रमांक एफ 8-2/2013/आ.प्र./ एक, भोपाल दिनांक 04.01.2024 एवं अन्य पत्रों में दिये गये निर्देशानुसार विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद/पदों की पूर्ति वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से की जाना है। इस हेतु निर्धारित योग्यता एवं अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी नीचे दर्शाये गये निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भर कर दिनांक 06.08.2024 कार्यालयीन समय 05:30 सांयकाल तक आवेदन-पत्र प्रेषित करें। आवेदन पत्र का प्रारूप नगर निगम, नारायण कृष्ण शेजवलकर भवन सिटी सेंटर पिन कोर्ड 474004 (निगम मुख्यालय) से प्राप्त कर नियत तिथि / समय तक निगम मुख्यालय सिटी सेंटर पर पोस्ट / स्वयं के द्वारा जमा किये जा सकते हैं। निर्धारित समयावधि में आवेदन पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में उन आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। डाक के माध्यम से विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र के लिए निकाय/कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित रिक्त पदों का विवरण, वेतनमान, निर्धारित योग्यता एवं वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए निर्धारित तिथि की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	पद का नाम	पद की श्रेणी	वेतनमान	दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित वर्गवार रिक्तियां				कुल	निर्धारित योग्यता	वॉक-इन-इंटरव्यू हेतु निर्धारित तिथि
				दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5 प्रतिशत) चिन्हांकित पद	बहरे और कम सुनने वाले (1.5 प्रतिशत) चिन्हांकित पद	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेबल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बीनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्राफी (1.5 प्रतिशत) चिन्हांकित पद	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगजन, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5 प्रतिशत) चिन्हांकित पद			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	सहायक वर्ग-3 (नियमित)	तृतीय श्रेणी	19500/- एवं नियमानुसार भत्ते।	2	2	2	2	8	12 वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा टंकन कार्य एवं कम्प्यूटर प्रचालन में सामान्य प्रशासन विभाग म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित योग्यता	27.08. 2024

2.	समयपाल (नियमित)	तृतीय श्रेणी	19500/- एवं नियमानुसार भत्ते।	1	1	1	0	3	12 वी कक्षा उत्तीर्ण सिविल इंजीनियरिंग में आई.टी.आई।	27.08. 2024
3.	सहायक राजस्व निरीक्षक (नियमित)	तृतीय श्रेणी	19500/- एवं नियमानुसार भत्ते।	1	1	2	2	6	12 वी कक्षा उत्तीर्ण कम्प्यूटर प्रचालन दक्षता की	27.08. 2024
4.	उपस्यच्छता पर्यवेक्षक (नियमित)	तृतीय श्रेणी	19500/- एवं नियमानुसार भत्ते।	1	1	1	1	4	12 वी कक्षा उत्तीर्ण।	27.08. 2024
5.	सहायक लेखापाल (नियमित)	तृतीय श्रेणी	25300/- एवं नियमानुसार भत्ते।	1	0	0	0	1	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कॉमर्स विषय में स्नातक एवं कम्प्यूटर प्रचालन का ज्ञान।	27.08. 2024
6.	लीडिंग फायनमैन (संविदा)	तृतीय श्रेणी	कुशल श्रेणी हेतु दैनिक वेतन के लिये निर्धारित (कलेक्टर दर) न्यूनतम पारिश्रमिक	0	0	0	1	1	12 वी कक्षा उत्तीर्ण तथा अग्निशमन में पत्रोपाधि	27.08. 2024
7.	फायनमैन (संविदा)	तृतीय श्रेणी	कुशल श्रेणी हेतु दैनिक वेतन के लिये निर्धारित (कलेक्टर दर) न्यूनतम पारिश्रमिक	1	1	1	0	3	12 वी कक्षा उत्तीर्ण तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से अग्निशमन डिप्लोमा कोर्स या समतुल्य	27.08. 2024
8.	मृत्यु (संविदा) 01 वर्ष हेतु	चतुर्थ श्रेणी	8000- 12000 अथवा अकुशल श्रेणी हेतु दैनिक वेतन के लिये निर्धारित (कलेक्टर दर) न्यूनतम पारिश्रमिक	2	2	2	1	7	10 वी उत्तीर्ण	27.08. 2024
9.	सफाई संरक्षक (संविदा) 01 वर्ष हेतु	चतुर्थ श्रेणी	8000- 12000 अथवा अकुशल श्रेणी हेतु दैनिक वेतन के लिये निर्धारित (कलेक्टर दर) न्यूनतम पारिश्रमिक	22	22	21	21	86	05 वी उत्तीर्ण	28.08. 2024
कुल योग				31	30	30	28	119		

मुख्य शर्त :-

1. आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. समस्त प्रमाण-पत्रों को सक्षम अधिकारी अथवा स्वयं सत्यापित करने उपरांत प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न प्रेषित की जाएँ।

3. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी 3-38/16/1/3 भोपाल, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार अभ्यार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष, आरक्षित वर्ग-अनु.जा., अनु. जनजाति, अन्यपिछडा वर्ग, शासकीय/निगम/मण्डल/स्वाशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/निःशक्तजन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए 18 से 45 अधिकतम (आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट) होगी।
4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी-3-8/2016/3-एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 एवं परिपत्र क्रमांक सी 3-38/16/1/3 भोपाल, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार के अनुसार आवेदक का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
5. आवेदक को वॉक-इन-इंटरव्यू/साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति साथ लाना अनिवार्य है।
6. दिव्यांगता के डिजिटल प्रमाण पत्र की अनिवार्यता दिनांक 01.06.2021 से लागू की गई है। अतः उक्त तिथि के पूर्व जारी मैनुअल दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी मान्य होगा।
7. डिजिटल जाति मूल निवासी प्रमाण-पत्र/जाति प्रमाण-पत्र एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया ही मान्य होगा।
8. वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए आने वाले आवेदकों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
9. अधूरे, अस्पष्ट एवं अपठनीय आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
10. भर्ती से संबंधित जानकारी एवं शर्तें कार्यालयीन समय में निगम/निकाय से प्राप्त की जा सकती हैं।
11. यह कि जिस आवेदक का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु (पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) के पूर्व हो गया हो उसे उक्त पदों के लिए अयोग्य माना जायेगा।
12. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वह आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को पूर्ण करता है।
13. आवेदन-पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण, असत्य या त्रुटिपूर्ण पायी जाती है अथवा वांछित प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया जाता है, तो उसके आधार पर आवेदक को पूर्व सूचना दिये बिना उसका आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।
14. सीधी/बैंकलॉग के पदों पर आवेदक राष्ट्रीय पेंशन योजना, 2005 अंतर्गत नियुक्ति होंगे।
15. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2014 के अनुसार वर्गवार आरक्षण न करते हुए दिव्यांगजनों की श्रेणी के आधार पर आरक्षण किये जाने से विशेष पिछड़ी जनजातियों (सहरिया/सहरिया, भारिया एवं बैगा) महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आवेदकों को पृथक से आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

16. ऐसे समस्त आवेदन पत्र जो अपूर्ण हैं एवं विहित प्रारूप में नहीं हैं वे निरस्त कर दिये जायेंगे। अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये गये हो जो रूपान्तरित किये गये हो वे भी निरस्त कर दिए जाएंगे। साथ ही ऐसे विवरण दिये गए हो, जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हो, जो चयन के लिए आवश्यक हो, तो ऐसे आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिए जाएंगे।
17. दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का उनके लिये जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के पश्चात ही कि वे वास्तव में विकलांग हैं यह जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे।
18. यह कि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के निःशक्तता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या अधिक पाए जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।
19. शासन के आदेश के अनुसार, कोई भी अभ्यर्थी जिसके 02 से अधिक जीवत सन्तानें हैं, जिसने से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है तो ऐसा अभ्यर्थी नियुक्त हेतु पात्र नहीं होगा, लेकिन यदि एक बच्चा जीवित है और बाद के प्रसव में दो या अधिक सन्ताने जन्म लेती है तो उसे अयोग्य नहीं माना जावेगा।
20. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार सीधी भर्ती के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन होने पर अभ्यर्थी 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त होगा। परिवीक्षा अवधि में अभ्यर्थी को प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में दी जायेगी।
21. दिव्यांगजनों हेतु चिन्हांकित संविदा के पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही मध्यप्रदेश नगर पालिका संविदा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) सेवा, नियम 2021 में विहित प्रावधानुसार की जावेगी।
22. नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी के पास सुरक्षित होंगे।

**मध्यप्रदेश की सरकारी
नौकरियों एवं अन्य महत्वापूर्ण
जानकारियों के लिए यहां से
व्हाट्सएप चैनल [Click Here](#)**